

पत्रावली पेश की जा रही है। पत्रावली
के जवाब परोकार सरकार दिनांक 21/11/2023
को पेश हो।

[Signature]
D.O.O.

पत्रावली पेश हुई... अधिभाषक संघ द्वारा
... कामि... कार्य... स्थगित करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
07/12/2023 को पेश की जावे।

[Signature]
D.O.
सिस्ट

पत्रावली पेश हुई... अधिभाषक संघ के चुनाव होने के
... कामि... कार्य... स्थगित करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
02/01/2024 को पेश की जावे।

[Signature]
D.O.
सिस्ट

पत्रावली पेश हुई... अधिभाषक संघ द्वारा
... कामि... कार्य... स्थगित करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
23/01/24 को पेश की जावे।

[Signature]
D.O.
सिस्ट

पत्रावली पेश हुई... अधिभाषक संघ द्वारा
... कामि... कार्य... स्थगित करने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
08/02/24 को पेश की जावे।

[Signature]
D.O.
सिस्ट

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। परोकार
सरकार तहसीलदार रावतभाटा ने न्यायालय में
उपस्थित ही पत्रावली में No-objection कर पंथर-
गदी हेतु सहमति व्यक्त की। तकील प्रार्थी ने आज
ही बहस करने का निवेदन कर प्रा.पत्र पर बहस
की। उभय पक्ष को सुना गया। तकील प्रार्थी द्वारा

No. objection

[Signature]
08/2/24

01/24

23/01/2024

02/2024

S-111A
11/10/23

11/07/2023
शिवगढ़ जिला
(85 साली)


जामकावा माकूम

शिवगढ़ जिला
जिला मजिस्ट्रेट
शिवगढ़

08

प्रा०पत्र की वदस के दौरान दी गई दलीलों से हम संतुष्ट हैं। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पक्षरगद्दी करने का निवेदन किया जो कि उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा-128 बाबत पक्षरगद्दी स्वीकार योग्य पाया जाता है। प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा-128 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर प्रा०पत्र पक्षरगद्दी के आदेश दिए जाते हैं। प्रा०पत्र का निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल वफ्तर् हो।

31/08/20


उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

26/09/2023

11/10/2023